

मुख्यमंत्री आवास सौदर्यकरण मुद्दे पर विस में हंगामा

भाजपा विधायक निर्माण पर खर्च हुए पैसों को लेकर चर्चा की कर रहे थे मांग, मार्शल ने सदन से निकाला।

- नेता प्रतिपक्ष दामवीर बिधूड़ी के नेतृत्व में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने को दी गई थी नोटिस।

पार्यनिकर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के निर्माण पर चर्चा की मांग खारिज किए जाने का विरोध कर रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों को सोमवार को मार्शल ने दिल्ली विधानसभा से बाहर कर दिया। विधानसभा में विषय के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी के नेतृत्व में विधायकों ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने उनकी मांग खारिज कर दिया। इसके बाद अध्यक्ष ने आप विधायकों को लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग के कामकाज में वित विभाग द्वारा पैसा को गई कथित वादाओं के मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दी।

भाजपा विधायकों का विधूड़ी के साथ-साथ अध्यक्ष वर्मा, अंजय मलायर, मार्शल सिंह विद्युत, अनिल कुमार बाजपेहे, विंड्रे गुरु, और प्रकाश शर्मा और जिंद्रें महाजन का सदन से बाहर करने का आदेश दिया।

भाजपा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के गोयल ने हमला करते हुए लागतार दावा कर रही है कि 2022-23 के दौरान मुख्यमंत्री आवास 6, पैलेसस्टफ के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए। आप इसके जवाब में कहती रही है कि भाजपा इस मामले को उठाकर असली मुद्दों से ध्यान भक्तकाने की कोशिश कर रही है। जात हो भाजपा ने मुख्यमंत्री आवास पर हुए खर्च को लेकर कई बार घेरा है। इस आवास को राजमहल तक कह डाला है।



समन के बावजूद नहीं आए प्रमुख सचिव

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने समन के बावजूद सोमवार को वित विभाग के प्रधान सचिव के सदन में उपस्थित नहीं होने का मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया। दोपहर के भोजन से पहले विधानसभा ने

विस में अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव पारित

पार्यनिकर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा ने नियम 280 के तहत सदन में लोगों से जुड़े मुद्दे उत्तर दिल्ली के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव आप आदमी पार्टी के विधायक मोर्चाद्वारा गोयल ने पेश किया।

दिल्ली विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार, नियम 280 विधानसभा सदस्यों के लिए अपने निर्वाचक क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर सकारा का ध्यान आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। उन्होंने प्रस्ताव पेश करने से पहले कहा, युक्तवार की विधानसभा सत्र के दौरान मैंने कहा था कि जब हम सदन

में जनता से जुड़े मुद्दे उत्तर हैं तो अधिकारियों को सदन की दर्शक दीर्घ में मौजूद होना चाहिए। लेकिन, आज भी यहां स्थित वैसी ही है। गोयल ने कहा कि उनका अधिकारी तो मौजूद है, लेकिन पूरी संख्या में नहीं। गोयल ने कहा, अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया यह सुनिश्चित करें कि अधिकारी उपस्थित हैं, तभी मैं अपने प्रन उठाऊंगा।

इसके बाद उन्होंने अध्यक्ष के पास एक मौजूदिक प्रस्ताव पेश किया, जिनमें इस सदन के समक्ष रखा और इसे मंजूरी दे दी गई। अध्यक्ष ने कहा, मैं सचिव से सदन में परिन इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव को भेजने का आग्रह करता हूं कि नियम 280 के तहत सभी अधिकारी यहां उपस्थित रहें।

कुछ अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन पूरी संख्या में नहीं। गोयल ने कहा, अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया यह सुनिश्चित करें कि अधिकारी उपस्थित हैं, तभी मैं अपने प्रन उठाऊंगा।

प्रस्ताव पेश किया, जिनमें इस सदन के समक्ष रखा और इसे मंजूरी दे दी गई। अध्यक्ष ने कहा, मैं सचिव से सदन में परिन इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव को भेजने का आग्रह करता हूं कि नियम 280 के तहत सभी अधिकारी यहां उपस्थित रहें।

कुछ अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन पूरी संख्या में नहीं। गोयल ने कहा, अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया यह सुनिश्चित करें कि अधिकारी उपस्थित हैं, तभी मैं अपने प्रन उठाऊंगा।

इसके बाद उन्होंने अध्यक्ष के पास एक मौजूदिक प्रस्ताव किया, जिनमें इस सदन के समक्ष रखा और इसे मंजूरी दे दी गई। अध्यक्ष ने कहा, मैं सचिव से सदन में परिन इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव को भेजने का आग्रह करता हूं कि नियम 280 के तहत सभी अधिकारी यहां उपस्थित रहें।

कुछ अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन पूरी संख्या में नहीं। गोयल ने कहा, अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया यह सुनिश्चित करें कि अधिकारी उपस्थित हैं, तभी मैं अपने प्रन उठाऊंगा।

प्रस्ताव पेश किया, जिनमें इस सदन के समक्ष रखा और इसे मंजूरी दे दी गई। अध्यक्ष ने कहा, मैं सचिव से सदन में परिन इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव को भेजने का आग्रह करता हूं कि नियम 280 के तहत सभी अधिकारी यहां उपस्थित रहें।

कुछ अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन पूरी संख्या में नहीं। गोयल ने कहा, अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया यह सुनिश्चित करें कि अधिकारी उपस्थित हैं, तभी मैं अपने प्रन उठाऊंगा।

इसके बाद उन्होंने अध्यक्ष के पास एक मौजूदिक प्रस्ताव किया, जिनमें इस सदन के समक्ष रखा और इसे मंजूरी दे दी गई। अध्यक्ष ने कहा, मैं सचिव से सदन में परिन इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव को भेजने का आग्रह करता हूं कि नियम 280 के तहत सभी अधिकारी यहां उपस्थित रहें।

कुछ अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन पूरी संख्या में नहीं। गोयल ने कहा, अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया यह सुनिश्चित करें कि अधिकारी उपस्थित हैं, तभी मैं अपने प्रन उठाऊंगा।

प्रस्ताव पेश किया, जिनमें इस सदन के समक्ष रखा और इसे मंजूरी दे दी गई। अध्यक्ष ने कहा, मैं सचिव से सदन में परिन इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव को भेजने का आग्रह करता हूं कि नियम 280 के तहत सभी अधिकारी यहां उपस्थित रहें।

कुछ अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन पूरी संख्या में नहीं। गोयल ने कहा, अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया यह सुनिश्चित करें कि अधिकारी उपस्थित हैं, तभी मैं अपने प्रन उठाऊंगा।

प्रस्ताव पेश किया, जिनमें इस सदन के समक्ष रखा और इसे मंजूरी दे दी गई। अध्यक्ष ने कहा, मैं सचिव से सदन में परिन इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव को भेजने का आग्रह करता हूं कि नियम 280 के तहत सभी अधिकारी यहां उपस्थित रहें।

कुछ अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन पूरी संख्या में नहीं। गोयल ने कहा, अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया यह सुनिश्चित करें कि अधिकारी उपस्थित हैं, तभी मैं अपने प्रन उठाऊंगा।

प्रस्ताव पेश किया, जिनमें इस सदन के समक्ष रखा और इसे मंजूरी दे दी गई। अध्यक्ष ने कहा, मैं सचिव से सदन में परिन इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव को भेजने का आग्रह करता हूं कि नियम 280 के तहत सभी अधिकारी यहां उपस्थित रहें।

कुछ अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन पूरी संख्या में नहीं। गोयल ने कहा, अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया यह सुनिश्चित करें कि अधिकारी उपस्थित हैं, तभी मैं अपने प्रन उठाऊंगा।

प्रस्ताव पेश किया, जिनमें इस सदन के समक्ष रखा और इसे मंजूरी दे दी गई। अध्यक्ष ने कहा, मैं सचिव से सदन में परिन इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव को भेजने का आग्रह करता हूं कि नियम 280 के तहत सभी अधिकारी यहां उपस्थित रहें।

कुछ अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन पूरी संख्या में नहीं। गोयल ने कहा, अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया यह सुनिश्चित करें कि अधिकारी उपस्थित हैं, तभी मैं अपने प्रन उठाऊंगा।

प्रस्ताव पेश किया, जिनमें इस सदन के समक्ष रखा और इसे मंजूरी दे दी गई। अध्यक्ष ने कहा, मैं सचिव से सदन में परिन इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव को भेजने का आग्रह करता हूं कि नियम 280 के तहत सभी अधिकारी यहां उपस्थित रहें।

कुछ अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन पूरी संख्या में नहीं। गोयल ने कहा, अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया यह सुनिश्चित करें कि अधिकारी उपस्थित हैं, तभी मैं अपने प्रन उठाऊंगा।

प्रस्ताव पेश किया, जिनमें इस सदन के समक्ष रखा और इसे मंजूरी दे दी गई। अध्यक्ष ने कहा, मैं सचिव से सदन में परिन इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव को भेजने का आग्रह करता हूं कि नियम 280 के तहत सभी अधिकारी यहां उपस्थित रहें।

पत्रकारों के हित में मनोहर सरकार ने कई अहम फैसले लिए: नवीन गोयल

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

शहर के सिविल लाइंस में जर्नलिस्ट एसोसिएशन गुरुग्राम की ओर से निर्मित किये जा रहे प्रेस क्लब की निर्माणाधीन साइट का दौरा करने सोमवार को पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा के प्रमुख एंक भारत ब्रेक्सिट कमेटी के प्रदेश सह-संयोजक चौहान समेत एसोसिएशन के कानूनी सदस्यों ने नवीन गोयल का उके देकर स्वागत किया। प्रेस क्लब का निरीक्षण करते हुए नवीन गोयल ने कहा कि बेहतर सुविधाओं के साथ इस जाह का बेहतर इस्तेमाल होगा। हां-भरे पेंडों के बीच प्रक्रिति की गोद में यह स्थान है।

इस अवसर पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन गुरुग्राम के प्रधान संजय यादव, बरिष्ठ उप-प्रधान

सिविल लाइंस में निर्माणाधीन प्रेस क्लब साइट का किया दौरा।



गुरुग्राम के सिविल लाइंस स्थित निर्माणाधीन प्रेस क्लब साइट का दौरा करने पहुंचे भाजपा नेता नवीन गोयल का स्वागत करते संस्था के पदाधिकारी व सदस्य।

स्वाभाविक है कि यहां का प्रदूषण सर भी कम होगा। इस क्षेत्र में पेड़-पौधों की संख्या और भी बढ़ाई का काम किया जाएगा। नवीन गोयल ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तरम् है। मीडिया के आधारीय साख को बचाकर रखना सब प्रकारों की जिम्मेदारी है। समाज में जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो चौथा स्तरम् मीडिया भूमिका होती है। ऐसे मीडिया की

साथ सामन्जस्य स्थापित करके केंद्र और प्रदेश सरकार काम कर रही है।

मीडिया के माध्यम से ही सरकार की योजनाएं जन-जन तक पहुंच रही हैं। मीडिया से मिली जानकारियों से जनता सरकार की योजनाओं का लाभ भी उठा रही है। नवीन गोयल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रकारों के हित में काम करते हुए प्रकारों की पेंशन दिया। यह भी बड़ा कदम है। प्रकारों को पेंशन के अलावा बीमा आदि का भी लाभ देने की योग्या मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों की। नवीन गोयल ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तरम् मीडिया की समाज के निर्माण में भी अहम भूमिका होती है। ऐसे मीडिया की

यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सकारात्मक कार्यों को जनता के सम्प्रभुत्वा से प्रस्तुत करे।

नवीन गोयल ने कहा कि आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। तकनीकी रूप से मजबूत हैं। तुरंत प्रभाव से सूचनाएं तुरंत ही यहां से बहां पहुंच जाती हैं। यह समय प्रतिर्थी का है। ऐसे दूर में प्रकारों को हाथी व सटीक सूचनाएं ही अपने समाज चैनलों, समाजर पर्सों के माध्यम से जनता के बीच बढ़ाव देने के पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया की साख को बचाकर रखना सब प्रकारों की जिम्मेदारी है। समाज में जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो चौथा स्तरम् मीडिया द्वारा होता है। ऐसे मीडिया की

संक्षिप्त समाचार

23 को कमला नेहरू पार्क में होगा संकीर्तन महोत्सव

गुरुग्राम। श्री श्याम बजरंग परिवार संघ व श्री श्याम परिवार फाउंडेशन की ओर से आगामी 23 दिसंबर शनिवार को 17वां मेला श्री श्याम धनी सरकार का गुरुग्राम संकीर्तन महोत्सव-2023 का आयोजन किया जा रहा है। हर साल की तरफ इस साल भी भवत्व से यह महोत्सव होगा। कमला नेहरू पार्क में होने जा रहे इस महोत्सव की तैयारियों में संस्था के सदस्य दिन-रात जटे हुए हैं। श्री श्याम बजरंग परिवार संघ गुरुग्राम व श्री श्याम परिवार फाउंडेशन गुरुग्राम द्वारा इस आयोजन के लिए हर स्तर पर बेहतरीन तैयारियां की जा रही हैं। साथं 6 बजे से प्रभु इच्छा वाले आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में बदरवाल घृण्य के बेहतरीन सुशील भाद्राजा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, गुरुग्राम के विधायक अध्यक्ष भाद्राजा, भाजपा हरियाणा कायाकरणी सदस्य मुख्य अंतिमिति के रूप में शिरकत करेंगे। पलबल के विधायक दीपक मंगला, फरीदाबाद के विधायक नंदेंदु गुरु, पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा के प्रमुख नवीन गोयल, भाजपा प्रदेश कायाकरणी सदस्य मुख्य शर्मी की गवर्नरीया उपर्याक्षी रहेंगी। इस अवसर पर 8 बजे से अमृतमय भंडरा को लेकर दीपा भजनों का सप्ताहान करारेंगी। इनके अलावा चौथी तारीख से राजू शर्मा, गुरुग्राम से शुभम टाकारा, लिली से अराती शर्मा भजनों की प्रस्तुति देंगे। नरश पूर्णिया का स्मृजिकल घृण्य होगा।



पुलिस ने गांजा बेचने वाले को दबोचा, केस दर्ज

सोहना। भौंडसी पुलिस ने गांजा बेचने के आरोपी को गिरफ्तार किया। पिरफार आरोपी से तलाशी के दौरान 152 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जिसके लिए लापता भौंडसी थाना पुलिस के द्वारा जांच शुरू कर दी है। रिवायत को भौंडसी थाना पुलिस ने सूचना के बाद परिवार मूल के गांजीव को नया राजीव चौक के अंडरपास में दुर्घटना के रूप में शिरकत कर रही है। ये नां तो हड्डाल कर रहीं ना धरने दे रहीं हैं।

अस्पतालों में उपचार करने वाले मरीज भौंडसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने चाहिए, अपने इस आंदोलन में नर्सिंग ऑफिसर्स की अंडरपास के समान अपर्सोनल को पूरी निष्ठा के साथ बहुत अपनी मांगों को उठा रही हैं। ये नां तो हड्डाल कर रहीं ना धरने दे रहीं हैं।

अस्पतालों में उपचार करने वाले मरीज भौंडसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने चाहिए, अपने इस आंदोलन में नर्सिंग ऑफिसर्स की अंडरपास के समान अपर्सोनल को पूरी निष्ठा के उठाकर हक्कों के लिए चुना है, लेकिन सरकार नर्सिंग ऑफिसर्स को उठाकर हक्कों से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की अनदेखी से नर्सिंग ऑफिसर्स में रोष नपन रहा है। सरकार को बड़ा दिल दिया गया है। उनके मामले में हमें सुविधाएं देने के मामले में हमें सुविधाएं देने के लिए चुना जाएगा। हर बार सिर्फ अंडरपास में दो बाइक लोग घायल होते हैं। वह गांडी अंडरपास में दो बाइक सवारों से टकरा गई। इस हादसे में बाइक व गांडी में दो महिलाओं समेत पांच लोग सवार थे। इस घटना में साइकिल की दूसरी तरफ जा रहे बाइक सवार भौंडसी में सवार पांच लोग घायल हो गए।

गुरुग्राम के गांजीव चौक अंडरपास में दुर्घटना के बाद शक्तिप्रसंग पड़े दोनों वाहन।

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

गुरुग्राम के गांजीव चौक अंडरपास में दुर्घटना के बाद शक्तिप्रसंग पड़े दोनों वाहन।

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

गुरुग्राम के गांजीव चौक अंडरपास में दुर्घटना के बाद शक्तिप्रसंग पड़े दोनों वाहन।

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

गुरुग्राम के गांजीव चौक अंडरपास में दुर्घटना के बाद शक्तिप्रसंग पड़े दोनों वाहन।

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

गुरुग्राम के गांजीव चौक अंडरपास में दुर्घटना के बाद शक्तिप्रसंग पड़े दोनों वाहन।

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

गुरुग्राम के गांजीव चौक अंडरपास में दुर्घटना के बाद शक्तिप्रसंग पड़े दोनों वाहन।

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

गुरुग्राम के गांजीव चौक अंडरपास में दुर्घटना के बाद शक्तिप्रसंग पड़े दोनों वाहन।

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

गुरुग्राम के गांजीव चौक अंडरपास में दुर्घटना के बाद शक्तिप्रसंग पड़े दोनों वाहन।

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

गुरुग्राम के गांजीव चौक अंडरपास में दुर्घटना के बाद शक्तिप्रसंग पड़े दोनों वाहन।

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

गुरुग्राम के गांजीव चौक अंडरपास में दुर्घटना के बाद शक्तिप्रसंग पड़े दोनों वाहन।

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

गुरुग्राम के गांजीव चौक अंडरपास में दुर्घटना के बाद शक्तिप्रसंग पड़े दोनों वाहन।

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

गुरुग्राम के गांजीव चौक अंडरपास में दुर्घटना के बाद शक्तिप्रसंग पड़े दोनों वाहन।

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

गुरुग्राम के गांजीव चौक अंडरपास में दुर्घटना के बाद शक्तिप्रसंग पड़े दोनों वाहन।

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

गुरुग्राम के गांजीव चौक अंडरपास में दुर्घटना के बाद शक्तिप्रसंग पड़े दोनों वाहन।

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

गुरुग्राम के गांजीव चौक अंडरपास में दुर्घटना के बाद शक्तिप्रसंग पड़े दोनों वाहन।

पायनियर समाचार सेवा | गुरुग्राम

नौकरानी की हत्या के आरोपी डॉक्टर को जमानत पर रिहा करने से इंकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने नवंबर 2022 में कथित रखेल नौकरानी की हत्या आरोपी डॉ दीपकेन्दु मित्रा को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है और जमानत के लिए एस सी एस टी एक्ट के तहत दाखिल अपील खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मयक कुमार जैन ने डॉ दीपकेन्दु मित्रा की अपील पर दिया है।

वादी मुकदमा बिटोला ने 24 नवंबर 2022 में अपनी बेटी संगीता की हत्या के आरोप में प्रयागराज कोतवाली में डॉक्टर के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी बेटी उसके घर काम करने जाती थी और उसके संपर्क में आ गई। उसने बेटी की शादी करनी चाहिए तो उसने मना कर कहा कि वह स्वयं उसकी बेटी की शादी का खर्च उठाएगा। बावजूद इसके वादी ने अपनी बेटी की शादी कर दी। उसकी बेटी डॉक्टर के प्रभाव में अपने ससुराल से वापस आ गई और लाउदर रोड रामबाण स्थित उसके फ्लैट में रहने लगी। वर्ही पर बंद करमे में उसकी लाश पाई गई।



अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया
या कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य
र आधारित है। कोई इच्छमदीद गवाह
हीं है अपीलार्थी कैसं विशेषज्ञ है
और उसकी उम्र 70 वर्ष है। उसने
गवाहता वश अपना फ्लैट संगीता को
हने के लिए दे दिया था। वह ढाई
गवाह से फ्लैट पर गया ही नहीं। कहा
या कि गवाहों का कहना है कि
अपीलार्थी फ्लैट का मालिक है और
संगीता पिछले 10 वर्ष से उसकी पत्नी
रूप में रह रही थी। मृत्यु से दो ढाई

महीने पहले से अपीलार्थी ने संगीत को खर्च देना बंद कर दिया था। कोटों ने कहा शब्द फ्लैट में मिला। याची 10 साल से खर्च उठाता था। दोनों कर्वैंक में संयुक्त खाता भी है। खर्च बंद कर दिया। गवाहों के दर्ज बयान यार्ची की मनोवृत्ति दर्शाते हैं। प्रथम दृष्ट्यापन परिस्थितियां याची की तरफ हत्या के अपराध को इंगित कर रही हैं। यार्ची जमानत पाने के लिए स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर सका। इसलिए वह जमानत पाने का हकदार नहीं है।

बच्चा के 50 फासदा से कम उपरिथिति वाले 75 विद्यालयों को नोटिस स्पष्टीकरण तलब प्रयागराज। जिला बैसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में बच्चों की उपरिथिति बढ़ाने और शिक्षण स्तर को भी सुधारने का प्रयास किया है। बाबगृह इसके तामाख्यूनों में पंजीकृत छात्रों की पारितिन की उपरिथिति का प्रतिशत 50 से कम है। इसे लेकर स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने नाराजगी जताई है। पिछले दिनों प्रदेश के सभी जिलों में नोटिस देकर इस तरफ़स्तान आकृत कराया गया था। जिले में 75 विद्यालय ऐसे विहित हैं। जहाँ बच्चों की उपरिथिति 50 प्रतिशत से कम है। सभी से तीन दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। बीपाठा प्रवीण कुमार निवारी ने बताया कि 01 से 15 दिसंबर के बीच आईआरएस प्राप्ताती पर मात्याद्ध नोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या को देखने के बाट पांच चाला कि जिले के 75 विद्यालयों में नानक के अनुरूप बच्चे उपरिथित नहीं हो रहे हैं। इस पर भारत सरकार राज्य परियोजना कार्यालय मध्याद्ध नोजन प्राप्तिकरण ने नाराजगी जताई है। सभी स्कूलों में उपरिथित बढ़ाने का निर्देश देने के साथ कार्यावाह कर अवगत कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि अब सम्बंधित स्कूलों के सभी स्टाफ़ को दिसंबर का वेतन शेक दिया गया है। छठ शिक्षाविकासी के माध्यम से तीन दिन के भीतर सभी स्कूलों से स्पष्टीकरण मांग लिया जा रहा है।

बलात्कार आखिर बलात्कार है, चाहे यह पति ने ही क्यों न किया हो: गुजरात उच्च न्यायालय

भाषा। अहमदाबाद

गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि बलात्कार आखिर बलात्कार होता है, भले ही यह किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ ही क्यों न किया गया हो। इसने कहा कि भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर कायम चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है। हाल में दिए गए एक आदेश में, न्यायमूर्ति दिव्यशं को जीशी ने कहा कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वास्तविक घटनाएं सामने आने वाले अंकड़ों से संभवतः कहीं अधिक हैं। आदेश में कहा गया कि पीछा करने, छेड़गाड़, मौखिक और शारीरिक हमले जैसी कुछ चीजों को समाज में आम तौर पर 'मामूली अपराध' के रूप में चित्रित किया जाता है और साथ ही सिनेमा जैसे लोकप्रिय माध्यमों में इसे प्रचारित भी किया जाता है। इसमें कहा गया कि जहाँ यौन अपराधों को लड़के तो लड़के ही रहेंगी के चश्मे से देखा जाता है और अपराध को नजरअंदाज किया जाता है, उसको पीड़ित लोगों पर एक स्थाई और हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अदालत ने बहु के साथ कूरता और आपराधिक धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार एक महिला की नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए ए टिप्पणियां कीं। आरोप है कि महिला के पति और पैसे कमाने के लालच में अश्लील साइट पर पोस्ट करने के लिए निर्वस्त्र अवस्था में उसके बीड़ियों बनाए। इसने कहा, ज्यादातर (महिला पर हमला या बलात्कार) मामलों में, सामान्य प्रथा यह है कि यदि पुरुष पति है, तो लेकिन वह पर पुरुष के समान आचरण करता है, तो उसे छूट दी जाती है। मेरे विचार में, इस चीज़ को बर्दाश नहीं किया जा सकता। एक पुरुष आखिर एक पुरुष है अब एक कृत्य आखिर एक कृत्य है अब बलात्कार आखिर बलात्कार है, चाहे यह महिला, यानि के 'पती' के साथ किसी पुरुष, यानि के 'पति' द्वारा किया गया हो। आदेश में कहा गया कि संविधान महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा देता और विवाह को समान लोगों का एक गठबंधन मानता है। अदालत ने कहा, 'भारत में, अपराधी अकसर महिला को जानते हैं अब ऐसे अपराधों को उजागर करने से सामाजिक और आर्थिक दिक्कतों का भय रहता है। परिवार पर सामान्य आर्थिक निर्भरता और सामाजिक बहिष्कार का डर महिलाओं को किसी भी प्रकार की यौन हिंसा, दुर्व्यवहार या घृणित व्यवहार की जानकारी देने से रोकता है। आदेश में कहा गया कि इसलिए, भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वास्तविक घटनाएं सामने आने अदालत ने कहा, इस चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है। ऐसा करने में, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उसका मुकाबला करना पुरुषों, शायद महिलाओं से भी अधिक, का कर्तव्य और भूमिका होनी चाहिए। इसने कहा कि 50 अमेरिकी राज्यों, तीन ऑस्ट्रेलियाई राज्यों, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंग्राम, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, संविधान संघ, पौलैंड और चेकोस्लोवाकिया तथा कई अन्य देशों में वैवाहिक बलात्कार अवैध है। आदेश में कहा गया कि यहां तक कि ब्रिटेन ने भी पतियों को दी जाने वाली छूट को खस्त कर दिया है। पीड़ितों के पति, ससुर और सास को राजकोट साहबर अपाराध थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धाराओं-354 (ए) (अवांछनीय और स्पष्ट यौन उत्पीड़न, यौन संबंध की मांग, महिला की इच्छा के विपरीत अश्लील सामग्री दिखाना), 376 (बलात्कार), 376 (टी) (सामूहिक बलात्कार), 498 (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ कूरता), 506 (आपराधिक धमकी), 508 (किसी व्यक्ति को यह विश्वास कराना कि यदि वह कोई विशेष कार्य नहीं करता है, तो उसे भगवान द्वारा दंडित किया जाएगा)

पुरानी मरिजद को गिराए जाने वी आशंका संबंधी याचिका पर कार्यवाही बंद ती नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुनरव्वे बाग घोड़ घौसे पर 150 साल पुरानी मरिजद तो गिराने की आशंका वाली दिल्ली वरक बोर्ड की याचिका पर सोमवार को वर्धायी बंद कर दी, क्योंकि शहर के नगर निवाय ने कहा कि याचिकार्का वी आशंका का वोई आधार नहीं है। दिल्ली वरक बोर्ड के वर्कल ने कहा कि उन्हें नई दिल्ली नगर पालिक परिषद (एनडीएमसी) द्वारा व्यानूनी शिथि के बाहर वार्डी दिये जाने वी आशंका है और अदालत को ऐसी मनमानी तथा अधिक वार्डी शोकी का दिया। एनडीएमसी के वर्कल ने इस दलील का पुरोजे विशेष किया और कहा कि याचिकार्का के पास यह आशंका कर्णे का कोई आधार नहीं है कि प्रतियादी व्यानूनी शिथि से हटकर वार्डी करेगा। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों द्वारा वार्डी करनी होगी, तो वे गौजूदा नियालों का पालन करने के लिए बाध्य है। न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कैवर ने एनडीएमसी का प्रतिनिधित्व कर कर्णे वाली सॉलिसिटर जनरल घेतन शर्मा का बयान दर्ज करते हुए याचिका का निपटाया कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा, यूकीपक्ष उपरोक्त मुद्रे पर उपर्याप्त वापी है तक सहमता है, इन्हाँने इस सर पर, डॉ अदालत को अब याचिका पर फैसला देने की आवश्यकता नहीं है।

_____ बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ _____
बेलगावी में महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में उच्च न्यायालय ने कहा

बगलुरु। कनाटक उच्च न्यायालय ने बेलगावी जिले में एक महिला को निर्वस्त्र करने और उससे मारपीट करने के मामले में स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई जारी रखते हुए सोमवार को समाज के लिए सामूहिक जिम्मेदारी तय करने का आवान किया। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा, यह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नहीं है। यह बेटियों को बचाने के लिए बेटा पढ़ाओ है। जब तक आप लड़के को नहीं बताएंगे, आप इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। लड़की स्वाभाविक रूप से दूसरी महिला का सम्मान करेगी। लड़के को यह बताना होगा कि वह महिला का सम्मान करे और उसकी रक्षा करे। उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर को हुक्मेरी तालुका में 42 वर्षीय महिला को कथित तौर पर बिजली के खंभे से बांधने, निर्वस्त्र करने और उसके साथ मारपीट करने की घटना की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया। महिला के साथ कथित बर्बरता उसके बेटे के उसी गांव की अनुसूचित

अतारं मुआवजा दिया था, जिसमें से 50 प्रतिशत निकालने की अनुमति दी गई थी और अन्य 50 प्रतिशत सावधिं जमा खाते में रखने की अनुमति दी गई थी। चिकित्सा अधिकारी से परमार्थ करने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला को छह से आठ महीने तक इलाज की आवश्यकता है इसने डीएलएसए के आदेश के संशोधित किया और पूरी मुआवजा राशि बिना शर्त जारी करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से महिला के बैंक खाते में पांच लाख रुपए जमा किए गए हैं और कर्नाटक महिला वालिमकी अनुसूचित जनजाति विकास निगम ने पीड़िता को बेलगावर्धा के चुलकी गांव में दो एकड़ 3 गुंदाज जमीन आवर्दित की है। इसने कहा हम पीड़िता को सांत्वना देने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा उठाए गए इकट्ठे कदमों की समर्थन करते हैं। अदालत ने मामले को जनवरी के तीसरे सप्ताह में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का महिला
आरक्षण को तत्काल लागू करने
संबंधी याचिका पर विचार से इनकार

नहीं दिल्ला। दिल्ला उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक वकील की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षण कानून को तत्काल एवं समयबद्ध तरीके से लागू करने का आग्रह किया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा पहले से ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है और अधिनियम ने स्वयं ही इसके कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र एवं प्रक्रिया प्रदान की है। आधिकारिक तौर पर नारी शक्ति बंदन अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला महिला आरक्षण कानून महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीट के आरक्षण का प्रावधान करता है। 29 सितंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन गया।

अवधि धनातरण मान्यता में आरोपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय उप्र के सैम हिंगिनबॉट कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञानविश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल और छह अन्य की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनावी देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय ने उन्नेस खिलाफ दर्ज कथित धर्म परिवर्तन संबंधी प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। गिरफ्तारी के डर से कुलपति और अन्य ने शीर्ष अदालत व दिवाजा खटखटवाया हैं, जिसने उच्च न्यायालय के 11 दिसंबर के आदेश व खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई देने लिए न्यायमूर्ति अनिष्टद्ध बोस और केन्द्रीय विधानसभा की अवकाशकालीन पीठ व गठन किया है। उच्च न्यायालय के 1 दिसंबर के आदेश में उनसे 20 दिसंबर

कैबिनेट के लिए गए नीतिगत फैसले की चुनौती याचिका पर फैसला सुरक्षित

पल्नी ने अलग हुए पति से आईवीएफ प्रक्रिया में सहयोग मांगा, न्यायालय ने तलाक कार्यवाही पर रोक लगाई

नड़ दिल्ली। उत्तम न्यायालय ने एक-दूसरे से अलग हुए पार्टी-पत्नी के बीच तलाक की व्यवहारी पर ऐक तगा दी है, जिसके पत्नी ने इन-विद्रो पर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) प्रक्रिया के माध्यम से गर्भाशय कर्ने के लिए अपने पति से संत्योग मांगा है और इसके लिए वह उत्तम युवूप्रय चाहती है। महिला ने अपने पति द्वारा भोपाल गे दायर तलाक के लिए तामगे थे लखनऊ स्थानांतरित करने का आग्रह करते हुए थीर्थ अदालत का रख चिया है, जहाँ वह वर्तमान गे अपने माता-पिता के साथ रह रही है। तामगे थे दूसरी जगह स्थानांतरित करने के आग्रह वाली याचिक न्यायालयीति पंकज निश्ठल वी पीट के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जो मामले पर सुनवाई के लिए सहमत हो गए। पीट ने एकदिवसीय के अपने आदेश मे कहा, दोनों पाप्ती के बीच तलाककी याचिक परिवार अदालत, भोपाल मे लिखित है। याचिकार्का-पत्नी लखनऊमे रहती है और चाहती है कि मामले थे लखनऊस्थानांतरित किया जाए। नोटिस (पति को) जारी किया जाए और छह सप्ताह के भीतर इसक्ष जगव दिया जाए। पीट ने कहा, इस बीच, प्रमुख न्यायाधीश, परिवार अदालत, भोपाल, मध्य प्रदेश मे लिखित (—) के बारे मे नोटिस देने वीर्यी के बारे मे नोटिस देने

अल्पवृ पेट हु। याधिक गे 44 वर्षीय महिला ने कहा-
मेरा 2017 गे शादी की थी और बां-बाट अनुरोध है कि
मेरी बनने गे दीटे किए आपनी बेजेगारी का बहाना
के लगातार अनुरोध के बाट, इस साल मार्ग ने उसे
बच्चा जनने के प्रति उसका पति सहमत हो गया।
उसने विकिया परीक्षण कराया और एक डॉक्टर की देखोले
पुरुष कर दी। डॉक्टर ऐश्वर्या पाठक के मान्यम से दायरा
में है, हालांकि, याधिकारी के तब ज़िद्दा लगा जाना
कि तालक के लिए मामला दायर कर दिया...ज़िद्दी
।। उसने याधिकारी के साथ सभी सांपर लोड दिया
और उसे मानवान्तरक स्पू ने पेशेश कर दिया। लविना
नज़्रस्थानातिर करने वाला आग्रह करते हुए याधिक ने
उसके सुखुरल के घर से निकल दिया गया तथा उसने
करने वाली दीवार पर लिखा- यह दीवार हमारी है।

यागमाया एमजी के वकाल ने अदालत से कहा कि जनहित याचिका^१संपूर्ण नारीत्वे के हित में है और आगामी आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक समाधान निकाला जाना चाहिए। अदालत ने कहा, 'जया गाकुर का मामला (याचिका) उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में है। वे इस पर विचार कर रहे हैं।' अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि याचिका एक 'प्रचार याचिका' है और विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू करने की प्रक्रिया पहले से ही अवधिकारों में अविभाजित है।

2023 का उत्तर प्रदेश के हमारपुर जिले में एक महिला ने दर्ज कराई थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ताओं पर जघन अपराध का आरोप है, इसलिए हिंसा दर्शें देते हैं कि उन्हें 20 दिसंबर, 2023 को या उससे पहले अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए।

मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर कैबिनेट प्रस्ताव पारित कराया और सरकारी संस्था को मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करा लिया। हालांकि अल्पसंख्यक मंत्रालय की कई आपत्तियां थीं परन्तु उन्हें नजर अंदाज किया गया। आपत्ति थी कि सरकारी संस्था प्राइवेट संस्थान से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। हिंतों में टकराव के चलते सरकार को 20 पैसे 44 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट की अनदेखी की गई। महाधिकारी की विधिक राय लेकर विधि विभाग की राय की अपेक्षा — ऐसी अपेक्षा — नहीं तो सरकारी संस्था को प्राइवेट विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करा लिया और एक एकड़ जमीन की 100 रुपये किराये पर 99 साल की लीज कैबिनेट मंत्री ने स्वयं अनुमोदित कर लिया। जो कि ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष हैं। सरकारी संस्थान के भवन में रामपुर पाल्टक स्कूल स्थापित कर लिया। सरकार बदलने पर हुई शिकायत पर एसआईटी गठित हुई। उसकी रिपोर्ट हाई बायर कमेटी ने कैबिनेट के समक्ष रखी। वर्तमान कैबिनेट ने 2014 के प्रस्ताव को पलट दिया और लीज निरस्त कर दी। लकर प्रशंसकाण एवं शोध संस्थान स्थापित किया। इसे चुनावी दी गई है याची का कहना है कि कैबिनेट के फैसले को दूसरी सरकार रद्द नहीं कर सकती। ऐसा करने से पहले याची को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया जो नैरसिंग न्याय के खिलाफ है। सरकारी तरफ से कहा गया कि नीतिगत मामलों में किसी पक्ष को सुनवाई का मौका देने का औचित्य नहीं है। एक सरकारी संस्था को प्राइवेट सोसायटी से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसा करना ग्रांट एक्ट का उल्लंघन है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कैबिनेट का निर्वाचन रद्द किया है।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

दोबों गढ़वों

यह घटनाक्रम निचले सदन में इसी तरह के दृश्यों के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, डीएमके के टीआर बालू और टीएमसी के सौगत रे सहित 33 विपक्षी सदस्यों को निलंबित किए जाने के तुरंत बाद हुआ। जबकि राज्यसभा के 34 सांसदों को शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, 11 को विशेषाधिकार समिति द्वारा उनके आचरण पर जांच रिपोर्ट आने तक सदन से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। सदन द्वारा शेष सत्र के लिए 34 सांसदों को निलंबित करने और 11 अन्य विपक्षी सांसदों के आचरण के मामलों को विशेषाधिकार समिति को भेजने के लिए सदन के नेता पीयूष गोवर्द्धन द्वारा पेश एक प्रस्ताव को अपनाने के बाद सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है और तब तक 11 सांसद सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। सभापति जगदीप धनखड़ ने पहले निलंबित सदस्यों के नाम बताए और फिर प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा।

जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विषयकी सदस्य लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करते हुए सदन में हंगामा कर रहे थे और नारे लगा रहे थे और सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे थे, जिसके कारण सुबह से ही सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित हुई। शेष सत्र के लिए निलंबित 34 सांसदों में से 12 सांसद कांग्रेस के हैं। निलंबित सदस्य इस प्रकार हैं - प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, अमीर याजिनिक, नारणभाई जे राठवा, सैयद नासिर हुसैन, श्रीमती फूलो देवी नेताम, शक्तिसिंह गोहिल, के.सी. विणुगोपाल, रजनी अशोकराव पाटिल, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सिंह सुरजेवाला (सभी कांग्रेस के), जबकि सात सदस्य टीएमसी से हैं - सुखेंदु शेखर रे, मोहम्मद नदीमुल हक, अबौर रंजन विश्वास, शांतनु सेन, मौसम नूर, प्रकाश चिक बड़ाइक और समीरल इस्लाम। शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित अन्य लोगों में एम शनमुगम, एन. महुआ माजी, जोस के. मणि और अजीत कुमार भुज़ीयाँ। जिन 11 विषयकी सदस्यों के नाम विशेषाधिकार समिति को भेजे गए हैं वे हैं - जेबी माथर हिशाम, एल हनुमथेया, नीरज डांगी, राजमणि पटेल, कुमार केतकर जी सी चंद्रेश्वर बिनय विश्वम

द अब्दुल्ला, जॉन
कसभा ने संसद
द्वारे पर तखियां
के लिए अधीर
और सौगत रे
को सदन से
के 10, तृणमूल
के आठ और
और आरएसपी
30 सदस्यों को
शताब्दी रे, प्रोतिमा मंडल, काकोली घोष
दस्तीदार, असित कुमार मल, सुनील कुमार
मंडल (सभी टीएमसी से), टीआर बालू,
ए राजा, दयानिधि मारन, टी सुमाथी, के
नवास कानी, कलानिधि वीरासामी, सी एन
अत्रादुराई, एस एस पलानीमणिकम, जी
सेल्वम, एस रामलिंगम (सभी डीएमके
से), इटी मोहम्मद बशीर (आईयूएसएल),
एन के प्रेमचंद्रन (आरएसपी) और
कौशलेंद्र कुमार (जद-यू)।

कथित संलिप्तता के लिए अब तक लोगों- सागर शर्मा, मनोरंजन डी, ज शिंदे, नीलम देवी, ललित झा और कुमावत को गिरफ्तार किया है। उन कड़े गैर-कानूनी गतिविधियां (थाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत ना दर्ज किया गया है। वर्षों विशेष धीश की अदालत में दिल्ली पुलिस ने है, बहस के दौरान आजाद के वकील ने कहा कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि 50 से अधिक टीमें गठित की गई हैं और आरोपियों के डिजिटल और बैंक विवरण और पृष्ठभूमि की जांच कर रही हैं। एक आरोपी सागर शर्मा से स्पेशल सेल साकेत दक्षिणी रेंज की टीम पूछताछ कर रही है।

संसद सुरक्षा...

सुर्गों ने कहा कि मेटा से आरोपियों की व्हाइट्सेपे चैट साझा करने का भी अनुरोध किया गया है, जिसके उनके मोबाइल फोन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, संसद सुरक्षा चूक की साजिश के साजिशकर्ता ललित ज्ञा ने राजस्थान के नागौर में अपना मोबाइल फोन फेंक दिया और अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन जला दिए। पुलिस के अनुसार, ललित घटना के बाद वहां भाग गया था। बाद में पुलिस ने ज्ञा की निशानदेही पर टूटे और जले हुए मोबाइल फोन के टुकड़े बरामद किए। इन हिस्सों को फोरेंसिक विभाग में यह पता करने के लिए भेजा गया है कि क्या इनसे डेटा रिकवर किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में इसकी प्रति उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। दिल्ली पुलिस ने विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष यह दलील दी, जिन्होंने नीलम आज़ाद द्वारा दायर आवेदन पर आदेश 19 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया। पुलिस ने अदालत को बताया कि आतंकवाद सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की कड़ी धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर की प्रति संवेदनशील प्रकृति के कारण ‘सीलबंद लिफाफे’ में है। आगे की जांच जारी है और आरोपी पुलिस रिमांड में है। कुछ अन्य व्यक्ति जो इसमें शामिल हो सकते हैं वे अभी भी फरार हैं। इसलिए इस स्तर पर आरोपी को एफआईआर की प्रति प्रदान करना जांच को प्रभावित कर सकता है। आग्रह मैंने पिछली बार भी आपसे किया था, अब फिर दोहरा रहा है। ये धरती मां को बचाने का बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। मेरा सतावा आग्रह है बाजरे को अपने दैनिक आहार जीवन में श्री-अन्न के रूप में शामिल करें। इसका व्यापक प्रचार करें, यह एक सुपर फूड है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मेरा आठठां अनुरोध है, चाहे फिटनेस हो, योग हो या खेल, इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। और नौवां अनुरोध है, कम से कम एक गरीब परिवार का सहारा बें, उनकी मदद करें। भारत में गरीबी दूर करने के लिए यह आवश्यक है।’ पीएम द्वारा समर्पित अन्य परियोजनाओं में अन्य रेलवे परियोजनाओं के अलावा लगभग 10,900 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित विकसित भारत की पूर्व शर्त के रूप में नारी शक्ति, युवा शताब्दी, किसानों और गरीबों के विकास पर जोर दिया। मोदी ने जोर देकर कहा, ‘मेरे लिए ये केवल चार जातियां हैं और इन्हें मजबूत करने से देश मजबूत होगा।’ इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री उपस्थित थे। दुर्निया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर्वेद महाराष्ट्र का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि देश ने गुलाम मानसिकता से आजादी की धोषणा कर दी है और अपनी विरासत पर गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘गुलामी के दौर में भारत के कमज़ोर करने का प्रयास करने वाले अत्याचारियों ने सबसे पहले हमारे पतीकों को निशाना बनाया।

